पत्रांक.......330.....

प्रेषक,
जिला शिक्षा पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

सेवा में,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, रांची

जमशेदपुर, दिनांक....09.3.04

विषय : शिक्षा निकेतन विद्यालय टेल्को नगर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में

संदर्भ - उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 1601 दिनांक - 21.8.2003.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सचिव, विद्यालय प्रबन्ध समिति शिक्षा निकेतन विद्यालय टेल्कोनगर जमशेदपुर जो एक सत्वाधारक मान्यताप्राप्त विद्यालय है ने विद्यालय का सम्बंद्धन सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से कराने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्यालय निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन संबंधित साक्ष्य/अनुसूची के साथ भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ समर्पित किया जा रहा है।

अनुलग्नक,
1. मूल आवेदन
2. निरीक्षण प्रतिलेख
3. अनुलग्नक A से R तक

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

क्षा निकेतन विद्यालय, टेल्कोनगर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विद्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं।

1. विद्यालय निबंधित सोसाईटीज अथवा शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों से स्थापित ट्रस्ट द्वारा संचालित हो। विद्यालय की स्थापना अथवा संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया गया हो।	1. शिक्षा निकेतन विद्यालय, टेल्को नगर जमशेदपुर शिक्षा प्रसार केन्द्र टेल्को जमशेदपुर द्वारा संचालित है जो एक निबंधित संस्था है। इसका रजिस्ट्रेशन नं. 202/80-81 है। इस विद्यालय को राज्य सरकार से वर्ष 1975 को स्वत्वाधारक विद्यालय के रूप में मान्यताप्राप्त है। परिशिष्ट ई. संलग्न। परिस्थिति के अनुकूल उन्नत स्तर की शिक्षा प्रदान करना इस संस्था का प्रथम उद्देश्य है। संस्था का रजिस्ट्रेशन एवं नियमावली की छाया प्रति परिशिष्ट-ए के रूप में संलग्न है।
2. विद्यालय को संचालन करनेवाले सोसाइटी का गठन इस प्रकार का हो जिससे कि किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व न हो।	2. इस विद्यालय के संचालन हेतु एक समिति गठित है। समिति में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है। समिति में कई सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। समिति द्वारा विद्यालय संचालन एवं विकास के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाते हैं। समिति के गठन की पुष्टि हेतु सूची की छायाप्रति परिशिष्ट - पी के रूप में संलग्न है।
3. सोसाइटी के लेखा का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अवश्य होना चाहिए। तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध करते समय बैलेंस सीट की एक प्रति एवं आय-व्यय का लेखा जमा करना आवश्यक होगा।	3. विद्यालय के लेखा का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन विगत तीन वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 के आंकड़ों की प्रति एवं आय-व्यय लेखा की प्रति परिशिष्ट-सी के रूप में संलग्न है।
4. विद्यालय के संचालन के लिए शासी निकाय का गठन होना आवश्यक है। जो सोसाइटी ट्रस्ट के अधीन विद्यालय का संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।	4. विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए शासी निकाय का गठन किया गया है। जो शिक्षा निकेतन विद्यालय टेल्कोनगर के संचालन के लिए उत्तरदायी है परिशिष्ट-पी संलग्न।
5. विद्यालय में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होगा तथा हिन्दी भी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती हो।	5. विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है तथा अंग्रेजी की पढ़ाई पहली कक्षा से ही अनिवार्य रूप से होती है।
6. विद्यालय के शिक्षकगण पर्याप्त योग्यताधारी एवं प्रशिक्षित होंगे।	6. विद्यालय के शिक्षकगण पर्याप्त योग्यताधारी हैं। विद्यालय में कुल 53 शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। जिनमें 50 शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रशिक्षित हैं तथा तीन शिक्षक-शिक्षिकाएं योग्य एवं अप्रशिक्षित हैं। शिक्षकों की सूची परिशिष्ट (एन.) के रूप में संलग्न है।
7. विद्यालय के कर्मियों की सेवा शर्तें वेतन, भत्ता एवं अन्य लाभ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विद्यालयों के कर्मियों के समान होगा।	7. विद्यालय के कर्मियों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ता एवं अन्य लाभ राज्य सरकार के विद्यालयों के कर्मियों की तरह लगभग समान है। सेवा शर्त की प्रति परिशिष्ट - (क्यू.) एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किये जाने संबंधी प्रतिवेदन परिशिष्ट (ओ) के रूप में संलग्न है।

विद्यालय का प्रबन्ध समिति विद्यालय के प्रत्येक कर्मी के साथ लिखित एकरारनामा करेगा कि-

(क) सेवा शर्त, वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ता उसे अनुमान्य है।

(ख) विभिन्न प्रकार की छुट्टियां, सेवानिवृत्ति की आयु, भविष्यनिधि, पेंशन, उपादान, चिकित्सा एवं अन्य लाभ भी कर्मियों को अनुमान्य है।

(ग) आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में दंड दिया जाना।

(घ) कर्मियों को बर्खास्त करने/सेवा से हटाये जाने अथवा पदोन्नति के पूर्व अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना।

(ङ) प्रबन्ध समिति एवं कर्मियों के बीच वेतनमान/भत्ता/छुट्टी/सेवानिवृत्ति की आयु/पेंशन/उपादान/भविष्य निधि/चिकित्सा एवं अन्य लाभ से संबंधित विवाद की स्थिति में कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना, जिसके फलस्वरूप उनकी सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना एवं पदोन्नति आदि के संबंध में प्रबंध समिति एवं कर्मियों के बीच एकरारनामा में विशेष रूप से स्पष्ट होना चाहिए।

(च) प्रबन्ध समिति एवं कर्मियों के बीच आपसी एकरारनामा विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

8. विद्यालय का प्रबन्ध समिति विद्यालय के प्रत्येक कर्मी के साथ लिखित एकरारनामा करता है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती है। परिशिष्ट - के रूप में संलग्न है। समिति द्वारा विद्यालय कर्मियों के लिए एवं विद्यालय संचालन के लिए सेवा शर्त एवं नियमावली बनाया है जो सरकारी सेवा शर्त एवं नियमावली के अनुरूप है। परिशिष्ट (क्यू.)

9. विद्यालय का दो एकड़ भूमि एवं उपयुक्त भवन होना आवश्यक है। यदि विद्यालय भाड़े के भवन में स्थित है तो वैसी स्थिति में विभाग यह संतुष्ट होगा कि विद्यालय द्वारा अपनी भूमि का अर्जन कर लिया गया है और विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में विद्यालय अपने भवन का निर्माण कर लेगा।

9. विद्यालय का अपना तीन एकड़ निबंधित भूमि है। भूमि संबंधित कागजात की छाया प्रति परिशिष्ट (बी) के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि पर विद्यालय का अपना तीन मंजिला भवन एवं खेल का मैदान है। भवन का फोटोग्राफ एवं भूमि का नक्शा परिशिष्ट - (डी.) के रूप में संलग्न है।

10. विद्यालय का पुस्तकालय छात्रों एवं कर्मियों के उपयोग की पुस्तकों एवं अन्य सामानों से सुसज्जित हो।

10. विद्यालय का पुस्तकालय छात्रों एवं कर्मियों के उपयोग के लिए पुस्तकों, उपस्करों एवं अन्य सामानों से सुसज्जित है। विद्यालय में अंग्रेजी की 2000 पुस्तकें एवं हिंदी की 3700 पुस्तकें एवं बंगला की 2500 पुस्तकें हैं। जिसका कुल मूल्य लगभग 40000 रुपये है परिशिष्ट (जी.) के रूप में संलग्न है।

11. वर्ग कक्षा काफी बड़े आकार का हो तथा सभी वर्गों के लिए पर्याप्त हो। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग आधुनिक उपकरणों, उपस्करों आदि से सुसज्जित हो जो विज्ञान एवं अन्य विषयों के शिक्षण के लिए पर्याप्त हो। कमरों का आकार निम्न प्रकार हो-

क्रमांक	कक्ष	न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	प्राचार्य कक्ष	25' x 25'
2.	कार्यालय	25' x 25'
3.	सभा भवन	60' x 60'
4.	वर्ग कक्षा	25' x 20'
5.	शिक्षक कॉमन रूम	25' x 20'

11. विद्यालय भवन में कुल 55 (पचपन) कमरे हैं। जो उपयोग के अनुरूप निर्धारित आकार का है। कमरों के आकार के अनुरूप संख्यात्मक सूची परिशिष्ट (एफ.) के रूप में संलग्न है।

छात्र कॉमन रूम	25' x 25'
छात्रा कॉमन रूम	25' x 25'

12. छात्रों से लिया जानेवाला शुल्क विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप हो। शिक्षण शुल्क-मासिक/तिमाही के रूप में लिया जा सकता है। अन्य प्रकार के शुल्क छात्रों से आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है।

12. छात्रों से लिया जानेवाला शुल्क विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप ही है। शुल्क संबंधी विवरणी परिशिष्ट (एम.) के रूप में संलग्न है। विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुकूल प्रयोगशाला, कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर शिक्षक, कॉमन रूम, मनोरंजन कक्ष, स्पोर्ट्स सामग्री आदि की उत्तम व्यवस्था है। परिशिष्ट (एच., आई.) के रूप में संलग्न है।

13. किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में केपिटेशन या डोनेशन छात्रों से नामांकन के लिए नहीं लिया जायेगा। अथवा नामांकन हेतु छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए छात्रों से डोनेशन नहीं लिया जायेगा।

13. छात्र-छात्राओं से किसी भी रूप में केपिटेशन फीस एवं डोनेशन नामांकन के लिए नहीं लिया जाता है। नामांकन हेतु छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए छात्रों से डोनेशन भी नहीं लिया जाता है। छात्रों का नामांकन जांच परीक्षा के आधार पर होता है। परिशिष्ट -एल. संलग्न है।

14. विद्यालय वर्ग 9, 10, 11 एवं 12 के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए अभिलेखों का संधारण करना होगा। अभिलेखों में दी गई प्रविष्टियों की जांच एवं हस्ताक्षर प्राचार्य अथवा इस निमित्त प्राधिकृत शिक्षक द्वारा किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर उपस्थिति से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

14. वर्तमान विद्यालय में प्रथम वर्ग से दशम वर्ग तक की पढ़ाई होती है। वर्तमान में छात्रों की कुल संख्या 1519 है जिसमें निरीक्षण तिथि को कुल 1370 उपस्थित थे। परिशिष्ट - जे. संलग्न है।

उपरोक्त सूचनाएं दिनांक 13.02.2004 को विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के आधार पर दी गई है। विद्यालय के छात्र अनुशासित हैं। ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति शिक्षा के विकास के लिए सक्रिय हैं। वर्तमान में विद्यालय झारखंड अधिविद्य परिषद से सम्बद्ध है। दशम वर्ग की परीक्षा झारखंड अधिविद्य परिषद से संचालित होती है। विद्यालय को वर्ष 1975 में तत्कालीन बिहार सरकार से स्वत्वाधारक विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विद्यालय का सम्पूर्ण वित्तीय भार शिक्षा प्रसार केन्द्र टेल्को द्वारा वहन किया जाता है। सरकार से इस विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है। विद्यालय में अध्ययन करनेवाले नब्बे प्रतिशत छात्र-छात्राएं टेल्को कर्मियों से संबंधित हैं। अभिभावक की इच्छा एवं मांग के अनुसार प्रबन्धन ने इस विद्यालय का सम्बंद्धन सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से कराने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है।

चूंकि विद्यालय पूर्व से ही मान्यताप्राप्त है एवं मान्यता के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है। सम्बंद्धन परिवर्तन हेतु नो ड्यूज प्रमाण पत्र के साथ-साथ सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बंद्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर विचार किया जा सकता है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।